कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी **सर्वश्री लिबर्टी शू लि0, करनाल।**
प्रार्थना पत्र संख्या **76 / 09**
प्रार्थी की ओर से **श्री सतीश गोयल, डायरेक्टर फर्म व श्री जी0 एल0 जोशी, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1 व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-76 / 09, दिनांक 11.8.09 को प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

a. Whether the plastic shoes / footwear, manufactured by the process as described hereinabove, shall qualify for a rate of 4% under **moulded plastic footwear"** as appearing in entry no. 83 to schedule II Part A of the U.P. VAT Act as amended from time to time; and,

b. Whether even after the process of using more than one moulds and stitching, fusing and gluing the moulded plastic upper to the moulded plastic sole the plastic footwear shall continue to find coverage under the entry no. 83 to schedule II Part A of the U.P. VAT Act as amended from time to time.

2. फर्म की ओर से श्री सतीश गोयल, फर्म के डायरेक्टर व श्री जी0 एल0 जोशी, अधिवक्ता उपस्थित हुए उनके द्वारा एक लिखित स्पष्टीकरण पत्रावली पर दाखिल किया गया। व्यापारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दो प्रकार के जूतों का निर्माण किया जाता है एक चमड़े के जूते और दूसरे moulded plastic जूते के निर्माण व बिक्री का कार्य किया जाता है। चमड़े के जूते की करदेयता पर कोई विवाद नहीं है और उस पर अवगीकृत की भाँति 12.5% की दर से वे करदेयता स्वीकार करते हैं वह जमा करते हैं। उनकी कम्पनी इसके अतिरिक्त moulded plastic के जूते का निर्माण व बिक्री करती है। बताया कि moulded plastic जूते को निर्माण करने की तीन प्रणालियॉ प्रचलित हैं-1-प्रथम प्रणाली में जूते का अपर प्लास्टिक मैटेरियल का बनाया जाता है और दूसरी मशीन में जूते का सोल बनाया जाता है तथा दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर चिपका दिया जाता है (Stuck-on process)। 2-द्वितीय प्रणाली में जूते के लिए प्लास्टिक मैटेरियल के अपर को अलग बना कर के मोल्ड में रखते हुए मोल्डिंग मशीन में रखा जाता है तथा साथ ही साथ इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा प्लास्टिक मैटेरियल इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रकार इंजेक्ट किये गये मैटेरियल के सूखने के उपरान्त अपर उसी के साथ फिक्स हो जाता है तथा जूते का निर्माण हो जाता है (Injection moulding process)। 3-तृतीय प्रणाली में जूते का अपर प्लास्टिक का अलग बनाया जाता है तथा सोल अलग बनाये जाते हैं तथा दोनों को सिल दिया जाता है और जूता तैयार हो जाता है। बताया कि इस प्रकार तीनों प्रणालियों में प्लास्टिक मैटेरियल का मुख्यत: प्रयोग होता है।

व्यापारी द्वारा मोल्डिंग के सम्बन्ध में इनसाइक्लिोपीडिया ब्रिटेनिका में प्रेसिंग और मोल्डिंग प्रोसेस की परिभाषा को बताया गया है जो निम्न प्रकार है :-

" Molding is any process that changes the surface characteristics or topography of a garment

.....2

or shoe or one of its sections by application of heat, moisture, or pressure. Pressing, pleating, blocking, mangling, steaming, creasing, curing, and casting are trade terms for various molding processes in producing clothing and footwear."

बताया कि न्यू ऑक्सपोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में मोल्ड की निम्न परिभाषा दी गयी है :-

particular shape or structure: that has been moulded; that has a mould or moulds.

फर्म की ओर से लिखित स्पष्टीकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, अनुसूची-II, भाग- की प्रविष्टि संख्या-83 तथा कर्नाटक वैट एक्ट की दिनांक 31.3.06 की अनुसूची-3 की प्रविष्टि-64 एक समान है जो निम्नवत है :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-11, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 दिनांक 31.03.11 तक निम्नवत है :-

83	**Moulded plastic footwear**; hawai chappal and straps thereof (vide Noti. No.-KA.NI-2-1203 / XI-9 (1) /08….dated 17.04.08 effective from 15-04-08 से 31.03.11 तक)

कर्नाटक वैट एक्ट की शिड्यूल-3 की प्रविष्ट संख्या-64, दिनांक 31.3.06 तक निम्नवत् है :-

64	**Moulded plastic footwear**; hawai chappal and straps thereof

कर्नाटक वैट एक्ट की अनुसूची में दिनांक 1.4.2006 से संशोधन के उपरान्त अनुसूची-3 की प्रविष्टि संख्या-64 निम्नवत् है :-

64	Moulded plastic footwear **fully made of plastic and of single mould,** Hawai chaples (rubber) and their straps. hawai chappal and straps thereof

दिनांक 01.04.11 से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-11, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 निम्नवत है :-

83	**plastic footwear**; hawai chappal and straps thereof (vide Noti. No.-KA.NI-2-421 / XI-9 (1) /08-U.P.Act-5-2008-Order-(71)-2011 Lucknow::Dated March 31, 2011

इस प्रकार कर्नाटक सरकार ने दिनांक 1.4.2006 से उपरोक्त प्रविष्टि में " **fully made of plastic and of single mould** " शब्द मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर के साथ बढ़ा दिया गया है । फर्म के अधिवक्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि मेसर्स PRESTON INDIA PVT. LTD., BANGALORE. के मामले में

.....3

एडवान्स रूलिंग अथारिटी, कर्नाटक द्वारा मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत केवल **प्लास्टिक फुटवियर मेड इन सिंगल मोल्ड** को ही मान्यता दी गयी थी तथा मल्टीपिल मोल्ड से बने प्लास्टिक फुटवियर को मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर नहीं माना गया था । एडवान्स रूलिंग एथारिटी, कर्नाटक के उपरोक्त निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.7.2006 द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा यह निर्णय दिया गया कि मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत सिंगल व मल्टीपिल दोनों ही सम्मिलित हैं । माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णण के पश्चात कर्नाटक सरकार द्वारा दिनांक 1.4.2006 से अनुसूची-3 की प्रविष्टि संख्या-64 को संशोधित करते हुए प्रविष्टि में **सिंगल मोल्ड से बने हुए प्लास्टिक फुटवियर** उक्त प्रविष्टि में सम्मिलित कर उक्त प्रविष्टि को सीमित कर दिया गया । अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 में वर्तमान समय तक सिंगल अथवा मल्टीपिल मोल्ड का उल्लेख नहीं है ।अत: माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.7.2006 मे मेसर्स PRESTON INDIA PVT. LTD., BANGALORE बनाम THE STATE OF KARNATAKA REP THROUGH THE AUTHORITY FOR CLARIFICATION AND ADVANCE RULINGS, BANGALORE (STA no.- 24./ 2005) में दिया गया निर्णय के तथ्य समान है जिस कारण से उनके मामले में भी प्रभावी है ।

उन्होंने बताया कि उनके द्वारा निर्मित मोल्डेड प्लास्टिक जूतों में प्लास्टिक का अपर बना कर मोल्ड में रख दिया जाता है तथा अपर के नीचे दूसरे मोल्ड में कस दिया जाता है फिर इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा प्लास्टिक मैटेरियल मोल्ड में डाला जाता है ठंडा हो जाने के उपरान्त इंजेक्शन मैटेरियल जम जाता है तथा प्लास्टिक का अपर मोल्डिंग मैटेरियल में फिक्स हो जाता है । उसके पश्चात स्टील मोल्ड खोलने के उपरान्त बाहर से जूते की सफाई करने के उपरान्त जूता तैयार हो जाता है । इस प्रकार से बना जूता प्लास्टिक मोल्डेड फुटवियर के अन्तर्गत आता है तथा उनके द्वारा बेचे जाने वाले प्लास्टिक जूते इसी श्रेणी में आते हैं । अपने कथन के समर्थन में व्यापारी द्वारा **भारत सरकार के उपक्रम / संस्थान फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलेपमेन्ट इन्स्टीट्यिूट** (एफ 0 डी0 आई0) का प्रमाण-पत्र, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अन्तर्गत कार्यरत है, इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उक्त इन्स्टीट्यिूट भी उनके द्वारा निर्मित प्लास्टिक जूतों को मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत माना जाता है । अर्थात भारत सरकार के संस्थान ने भी उनके द्वारा निर्मित प्लास्टिक जूते को मोल्डेड-प्लास्टिक फुटवियर के रूप में प्रमाणित किया गया है । उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान एवं हरियाणा आदि राज्यों में मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर के सम्बन्ध में समान प्रविष्टि मौजूद है तथा उपरोक्त सभी राज्यों में उनके द्वारा निर्मित प्लास्टिक फुटवियर को मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में मानते हुए 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है । उन्होंने यह भी बताया कि चूँकि इन सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश की ही भाँति केवल मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर का अंकन है ऐसी स्थिति में एक या एक से अधिक मोल्डेड प्रक्रिया वाले जूते भी इसमें सम्मिलित रहेंगे । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-11, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 में Single or Multiple

.....4

mould का उल्लेख नहीं है । अत: उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत दोनों / सभी Single or Multiple mould वाले जूते सम्मिलित हैं । उपरोक्त राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 के अन्तर्गत उक्त प्रविष्टि में Single mould या Multiple moulds सभी सम्मिलित हैं तथा Multiple mould को प्रविष्टि में कर्नाटक राज्य की भाँति अलग / exclude नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-11, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 दिनांक 31.03.2011 तक निम्नवत है :-

83	**Moulded plastic footwear**; hawai chappal and straps thereof

व्यापारी ने बताया कि **कमिश्नर, वाणिज्य कर, राजस्थान** ने, तीन सदस्यीय **एडवांस रूलिंग एथारिटी, कर्नाटक** तथा **हरियाणा टिब्यूनल** ने भी उनके ही मामले में विभिन्न तिथियों को निर्णय पारित करते हुए उनके द्वारा निर्मित मोल्डेड प्लास्टिक जूते पर 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है तथा एडवान्स रूलिंग एथारिटी, कर्नाटक द्वारा उक्त प्रविष्टि में Single और Multiple मोल्डिंग वाले प्लास्टिक जूते सभी को 4% की दर से कर देय माना गया है । अत: व्यापारी ने बताया कि उपरोक्त वर्णित विभिन्न राज्यों की स्थिति भारत सरकार के संस्थान फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलेपमेन्ट इन्स्टीट्यिूट (एफ0 डी0 आई0) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा निर्मित प्लास्टिक फुटवियर, मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत आने के कारण 4% की दर से कर देय है ।

3 मेरे द्वारा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.7.2006 मे मेसर्स PRESTON INDIA PVT. LTD., BANGALORE बनाम THE STATE OF KARNATAKA REP THROUGH THE AUTHORITY FOR CLARIFICATION AND ADVANCE RULINGS, BANGALORE (STA no.- 24./ 2005) का परीक्षण किया । माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के तथ्य प्रस्तुत मामले के तथ्य से समान है जिस कारण से उक्त वाद में दिया गया निर्णय प्रस्तुत मामले में भी प्रभावी रहेगा । इसके अतिरिक्त पाया गया कि एडवांस रूलिंग एथारिटी, कर्नाटक द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि प्रविष्टि में नम्बर ऑफ मोल्ड्स या किसी विशिष्ट प्लास्टिक के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है । कर्नाटक की ही भाँति उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-11, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 में भी Single या Multiple मोल्ड अथवा किसी विशिष्ट प्लास्टिक से बने जूते को उक्त प्रविष्टि से अलग नहीं रखा गया है । अत: माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक के उपरोक्त निर्णय, एडवांस रूलिंग एथारिटी, कर्नाटक का निर्णय प्रस्तुत मामले में भी प्रभावी रहेगा तथा भारत सरकार के संस्थान फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलेपमेन्ट इन्स्टीट्यिूट (एफ0 डी0 आई0) द्वारा भी व्यापारी द्वारा प्लास्टिक का निर्मित व बिक्रीत फुटवियर को मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर माना गया है । भिन्न राज्य सरकारों जैसे-राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा आदि ने भी उक्त व्यवसायी के फुटवियर को मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर माना गया है । अत: समस्त तथ्यों को देखते हुए पाया गया कि मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर तीन प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित किया जाता है अत: दिनांक 31.03.2011 तक प्रथम

.....5

प्रक्रिया द्वारा निर्मित ऐसे फुटवियर जिसमें प्लास्टिक मैटीरियल से बने फुटयियर के अपर को मोल्ड में रखते हैं तथा मोल्डिंग मशीन से बने सोल को अपर से चिपका देते हैं (Stuck-on process) । इस प्रक्रिया के दौरान अपर भी मोल्ड के अनुसार बन जाता है । दूसरी प्रक्रिया से बने ऐसे फुटवियर को इन्जेक्शन मोाल्डिंग मशीन द्वारा निर्माण किया जाता है इसमें जूते के अपर को मोल्ड में बनाकर मोल्डिंग मशीन में रखते हैं तब प्लास्टिक मैटीरियल को मशीन में अपर को रोके हुए मोल्ड व सोल के लिए बनाये जाने वाले आकार के बीच में इंजेक्ट किया जाता है तथा इस सिंगल प्रक्रिया द्वारा सोल व अपर आपस में मोल्ड के अनुरूप जुड़ जाते हैं तथा फुटवियर तैयार हो जाता है (Injection moulding process) । उक्त दोनों प्रक्रियाओं (Stuck-on तथा Injection moulding process) द्वारा निर्मित फुटवियर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-11, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 के अन्तर्गत मोल्डेड फुटवियर की श्रेणी में आयेंगे । परन्तु तीसरी प्रक्रिया से निर्मित ऐसे मोल्डेड फुटवियर जिनका अपर व सोल अलग-अलग बनाया जाता है तथा फुटवियर के अपर व सोल को अलग-अलग बनाने के उपरान्त आपस में सिल कर फुटवियर तैयार किया जाता है । ऐसे तीसरे प्रकार की प्रक्रिया से तैयार फुटवियर को मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर नहीं कहा जा सकता है । कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सर्वश्री अग्रवाल बूट हाउस, शिवाजी मार्केट, आगरा के धारा-59 के निर्णय (प्रार्थना-पत्र संख्या-309 / 2008), दिनांक 02.09.2008 द्वारा तृतीय प्रक्रिया द्वारा निर्मित फुटवियर को मोल्डेड फुटवियर नहीं माना गया है । अत: उपरोक्त तीसरी प्रक्रिया से बने ऐसे फुटवियर के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का उक्त निर्णय प्रस्तुत मामले में भी प्रभावी रहेगा तथा तीसरी प्रक्रिया से बने ऐसे फुटवियर, मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में नहीं आयेंगे । अत: इस तीसरी प्रक्रिया से बने ऐसे **फुटवियर किसी अनुसूची में न आने के कारण इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है** । परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोटिफिकेशन संख्या-क0 नि0-2-421 / X1-9 (1) / 08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (71)-2011 दिनांक 31.03.11 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-11, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 में संशोधन के पश्चात् " Moulded " शब्द उक्त प्रविष्टि से विलोपित कर दिया गया है तथा उक्त के स्थान पर केवल " प्लास्टिक फुटवियर " स्थापित कर दिया गया है अत: दिनांक 31.03.2011 के पश्चात् तदनुसार करदेयता निर्धारित की जाती है ।

4. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 8 जून, 2011

ह0 / 08.06.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।